



UPME010095442026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा—द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं०—2753 / 2026

हारिस पुत्र अलीमुद्दीन उर्फ अलाउद्दीन, निवासी—मकान सं०—2470 ढलाई
वाली गली, रशीद नगर, थाना—लिसाड़ी गेट, जिला—मेरठ।

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं०—299 / 2026

अ०धारा—109(1) बी०एन०एस० व

धारा—3 / 25 / 27 आयुध अधिनियम

थाना—लोहिया नगर, जनपद—मेरठ।

प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से.....श्री संदीप कुमार, विद्वान अधिवक्ता

उ०प्र०राज्य की ओर से..... श्री के०के०चौबे, डी०जी०सी०(किमि०) एवं

श्री अश्वनी गोयल, सहा०डी०जी०सी०(किमि०)

दिनांक—09.07.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना—पत्र प्रार्थी / अभियुक्त हारिस की ओर से मुकदमा अपराध सं०—299 / 2026, अ०धारा—109(1) बी०एन०एस० व धारा—3 / 25 / 27 आयुध अधिनियम, थाना—लोहिया नगर, जनपद—मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी / अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 16.05.2026 को समय 02.20 बजे संबंधित थाने की पुलिस द्वारा दौरान चैकिंग वास्ते वांछित अभियुक्त मुखबिर की सूचना पर उसके द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचने पर एक मोटर साइकिल पर तीन व्यक्ति को आते हुए रोका गया, जो नहीं रुके और भागने लगे। पुलिस द्वारा उनका पीछा करने पर उनके द्वारा जान से मारने के उद्देश्य से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। अभियुक्त को सह—अभियुक्त

के साथ मौके पर ही पकड़ लिया गया। मौके से दो अदद तमंचे 315 बोर, दो खोखा कारतूस 315 बोर, दो जिंदा कारतूस मय बोर, एक खोखा कारतूस .32 बोर एक मोटरसाइकिल बरामद की गयी।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :-

- प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है।
- कथित घटना में किसी पुलिसकर्मी को आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आयी है।
- कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।
- उसके कब्जे से दर्शायी गयी बरामदगी फर्जी है।
- तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस-डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. निर्णय विधि स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005)8 एस0सी0सी0-21 में यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अथवा युक्ति-युक्त आधार यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने साथ ही साथ आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धि की दशा में दण्डादेश की कठोरता, जमानत प्रदान किए जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति, अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना, साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय एवं जमानत स्वीकार किए जाने की दशा में न्यायहित समाप्त होने का भय के बिन्दुओं पर विचार किये जाने हेतु दिशा-निर्देशित किया है।

8. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके विरुद्ध अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिसपार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किये जाने के आरोप है।
9. प्रस्तुत प्रकरण पुलिस मुठभेड़ से संबंधित है, जिसमें किसी पुलिसकर्मी को आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आयी है। स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। प्रार्थी/अभियुक्त से दर्शायी गयी बरामदगी का कोई जनता का साक्षी नहीं है।
10. अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।
11. प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।
12. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर बिना कोई मत प्रकट किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त हारिस द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ₹ 1,00,000/- रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जाय:-

1. अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।
2. विवेचक द्वारा तलब किए जाने पर उनके समक्ष उपस्थित रहेगा।
3. अभियुक्त साक्षियों को डराएगा-धमकाएगा नहीं और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा।
4. विवेचक की अनुमति के बिना दौरान विवेचना जिले से बाहर नहीं जायेगा।
5. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस तरह का कोई अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।
6. इस आदेश की एक प्रति ई-मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक, मेरठ को प्रेषित की जाए।

दिनांक: 09.07.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा-द्वितीय)

सत्र न्यायाधीश,

मेरठ।

I.D.No.U.P.-6030